

क्रमांक 9/17/1996-1चौ01

(3)

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

सेवा में

1. राज्य के सभी प्रशासकीय सचिव तथा सभी विभागाध्यक्ष।
2. सभी मण्डल आयुक्त तथा सभी उपायुक्त।
एवं राज्य के सभी उप मण्डल अधिकारी (ना0)।
3. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़।
4. सभी जिला एवं स्तर न्यायाधीश।
5. अध्यक्ष, सभी बोर्ड तथा प्रबन्धक निदेशक, सभी निगम।

दिनांक चण्डीगढ़, 15.11.2017

विषय:- राज्य चौकसी ब्यूरो के अन्वेषण अधिकारियों को उन द्वारा की जाने वाली जांचों में प्रलेख उपलब्ध करवाने तथा पूर्ण सहायता/सहयोग देने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान सरकार के परिपत्र क्रमांक 9/17/1996-1चौ01, दिनांक 16.10.1996 तथा इसी सदर्थ में जारी हिदायतें दिनांक 11.07.2003 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार जिन जांचों में राज्य चौकसी ब्यूरो के अन्वेषण अधिकारियों द्वारा विभागों से रिकार्ड मांगा जाये वह उन्हें 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर उपलब्ध करवाया जाये तथा जांचों से सम्बन्धित सूचना/प्रलेखों को उपलब्ध करवाने में सभी विभाग परम अग्रता से पूर्ण सहायता/सहयोग प्रदान करें।

2. परन्तु सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जांच के सम्बन्ध में रिकार्ड सम्बन्धित जांच अधिकारियों को बार-बार स्मरण करवाने पर भी सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है और परिणामस्वरूप अन्वेषण अधिकारी को ऐसी जांचों को पूर्ण करने में अनावश्यक देरी तथा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है और आपसे पुनः अनुरोध है कि भविष्य में इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये ताकि भविष्य में जांचों को पूरा करने में अनावश्यक देरी न हो।

3. कृपया इसकी पावती भेजें।

भवदीय,

R. Malhotra

अवर सचिव चौकसी,

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

15/11/17